निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 44/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025/369

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर.... ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शांती देवी पत्नी स्व0 श्री हरकेश निवासी सेड रोड गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर
2. अजय सैनी पुत्र स्व0 श्री हरकेश निवासी गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर
3. विजय सैनी पुत्र स्व0 श्री हरकेश निवासी गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर
4. सुनील सैनी पुत्र प्रभु सैनी निवासी 43 सोनी कॉलोनी, गंगापुरसिटी, तह0 गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री हरकेश माली व अन्य (स्व0 हरकेश माली के वारिसान एवं सहऋणी) की सम्पत्ति पट्टा नं0 96 ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रामस्वरूप माली का मकान, पश्चिम में रामेश्वर माली का मकान, उत्तर में कल्लू माली का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 86.82 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 7,00,000/– (सात लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 02.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तथा 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के पति/पिता हरकेश माली द्वारा बीमा पॉलिसी लिये जाने तथा प्रार्थी बैंक को जरिये लिगल नोटिस दिनांक 08.08.2024 ऋण राशि बीमा कम्पनी से प्राप्त किये जाने के संबंध में सूचित किये जाने साथ ही प्रकरण में ऋण स्टेटमेंट वगै0 दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण को दस्तावेज साझा किये जाने तथा अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की बकाया राशि जमा करवाने हेतु समय दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है।

3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया साथ ही दिनांक 02.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं0 96 ट्रक यूनियन के पास, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रामस्वरूप माली का मकान, पश्चिम में रामेश्वर माली का मकान, उत्तर में कल्लू माली का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 86.82 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 18.2.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner